श्री कल्पनाथ राय : आपको मेरी बात सुननी होगी । आप लोग जब सरकार में होंगे तो लाठी गोली चलेगी । आप जब सरकार में होंगे तो किसानों का गन्ना जलवायेंगे । जो सरकार अच्छा काम कर रही है, उस सरकार के खिलाफ इस तरह की बातें उचित नहीं । इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का विरोध करता करता हूं । धन्यवाद ।

श्री कैलाशनारायण सारंग : "जिनको न पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, ऐसे कमज़र्फ को महफिल में बुलाते क्यों हो ।

THE COIR INDUSTRY (AMENDMENT) BILL, 1993

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): Madam, I move.

That the following amendments made by the Lok Sabha in the Coir Industry (Amendment) Bill, 1993, be taken into consideration, namely:—

ENACTING FORMULA

1. Page 1, line 1,—

for 'Forty-fourth' *substitute* 'Forty-fifth'

CLAUSE-1

2. Page 1, line 3,—

for '1993' *substitute* '1994'

The question was put and the motion was adopted.

SHRI M. ARUNACHALAM: Madam, I move:

That the amendments made by the Lok Sabha in the Bill be agreed to.

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know it is quarter to seven o'clock now. The Minister of Health is here for giving the reply. If Members want, we can ask him to reply.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Madam, the Ordinances are being passed, and it will be reported... (*Interruptions*).

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam, Special Mentions are there. M

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, the Special mentions are pending. Now I will call the names for the Special Mentions.

SPECIAL MENTIONS

Insult and humiliation to the Chairman of Scheduled Castes Scheduled Tribes Commission

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : उपसभापति महोदया' दलितों पर होने वाले अत्याचारों की घटनायें आये दिन अखबारों में छपती हैं और अक्सर उन मसलों को सदन में भी उठाया जाता है । लेकिन जब भी हम लोग सरकार से यह पूछते हैं कि इस समस्या के निराकरण के लिये सरकार ने क्या उपाय सोचें हैं तों बहुत ही दभ के साथ एक बात बार-बार सरकार की ओर से कही जाती है कि हमने अनुसूचित जाति और अनसूचित जनजाति के लिये एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया । यह बात एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर सरकार की ओर से गिनाई जाती हैं । लेकिन आज मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे हुये लोगों से यह पूछना चाहती हूं कि यदि राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष स्वयं अत्याचार के शिकार हो जायें तो वह किस के दर पर जाकर गुहार करें? इस समय यह मसला सदन में उठाते समय मेरे हाथ में अनसूचित जाति और

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

अनसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष श्री राम धन जी का एक पत्र है जो मेरी समझ में उन्होंने सभी सांसदों को लिखा होगा । इसमें जिस घटना का उल्लेख उन्होंने किया है, उन्हें जिस तरह से अपमानित किया गया, जिस तरह से उनके साथ बदसलूकी की गई है, वह घटना अपने आप में केवल शर्मनाक ही नहीं है बल्कि उस घटना में कितने संवैधानिक प्रश्न भी उठाये हैं । उन्होंने कहा है कि इसी माह की दो तारीख को वह सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों जो इसके कारण उजाड़े गये हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था देखने के लिये गुजरात गये थे । गुजरात में बड़ोदरा से उनको मणिवेली जाना था । जब वह बड़ोदरा से मणिवेली के लिये चले तो लगभग 80 किलो मीटर की दूरी पर गरूवेश्वर नामक स्थान पर उनकी कार को कुछ लोगों ने घेर लिया । उन्होंने वहां कुछ नारेबाजी की, उस समय राज्य प्रशासन को उनकी सुरक्षा के लिये आगे आना चाहिये था, उन्हें सुरक्षा प्रदान करके मणिवेली भेजना चाहिये था लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने उनसे आकर कहा कि हम तो आप को मणिवेली जाने नहीं दे सकते हैं । वहां ला एड आर्डर प्रोब्लम खड़ी हो जायेगी । इस बात को सुन कर उन्होंने कहा कि आपकी बात अनुचित है । वह कार से बाहर निकले और नीचे धरने पर बैठ गये । बजाय इसके कि राज्य प्रशासन के अधिकारी उनकी सहायता करते, उन्होंने जबरदस्ती उठा कर उनको कार में डाला और ड्राइवर को कहा कि गाड़ी वापिस मोड़ कर उनको बड़ोदरा ले जाओ । उनको वापिस बड़ोदरा ले आये और वहां पर नर्मदा गेस्ट हाउस में जहां पर वह रह रहे थे उनके खिलाफ फिर नारेबाजी की गई और लोगों के समूह के समूह आये, उनके खिलाफ नारे बाजी करने लगे । वहां तो दूर दूर तक पुलिस भी दिखाई नहीं दी । अल्टीमेटली यह हुआ कि जब पूरी सरकार की ओर से उनको किसी भी तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं की गई तो उन्हें अपना दौरा रद्द करके वापिस आना पड़ा । जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था कि यह घटना शर्मनाक तो है ही लेकिन इससे कुछ संवैधानिक प्रश्न भी उठते । मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूं कि राष्ट्रीय आयोग के लिये जिन्हें कांस्टीट्यूशनल आथार्टी का दर्जा प्राप्त है, जिन्हें संवैधानिक अधिकारी के रूप में जांच करने के लिये, संस्था के रूप में माना जाता है, यह राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष यदि किसी शिकायत की जांच करने के लिये या अपने फर्ज की अदायगी करने के लिये किसी स्थान विशेष का दौरा करना करना चाहते हैं तो क्या उन्हें इस तरह से रोका जा सकता है ? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहती हूं कि अगर रोकने का काम स्वयं राज्य सरकार करे तो क्या स्थिति और भयावह नहीं हो जाती है ? आज इस घटना को 12 दिन हो गये हैं, दो जून का यह वाकया है । अगर उन्होंने मुझे पत्र लिखा है, बाकी सांसदों को भी पत्र लिखा है तो जरूरी है कि उन्होंने यह घटना सरकार के नोटिस में भी लाई होगी । लेकिन क्या सरकार के प्रतिनिधि मुझे यह बताने की कोशिश करेंगे कि आज 12 दिन के बाद भी उन्होंने दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ,जांच की है? रोज राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा को तरह तरह की शिकायतें लोग करते हैं, अगर वह जांच के लिये जायें और निहित स्वार्थ तत्वी लोग खड़े होकर उनकी कार का घेराव कर लें, राज्य प्रशासन बजाय उनकी सहायता करने, उन्हें उस स्थान पर जाने से रोके तो हम पर क्या बीतेगी ? कल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अगर मानवाधिकारों के उल्लघन की शिकायत की जांच करने के लिये जायें और राज्य प्रशासन उन्हें जाने न दें तो किस तरह की परिस्थिति उपस्थित होगी ? ऐसी परिस्थिति उपस्थित हुई है दलितों के साथ । ऐसी घटनायें रोज घटती हैं लेकिन वह दरवाजा जो उसे दिखाया गया है कि अगर तुम्हारे साथ घटना घटे तो तुम दर पर जाकर गहार करो, ये प्रभावी ढग से इन घटनाओं को रोकने का काम करेंगे, तुम्हारे साथ न्याय करवायेंगे । अगर उस आयोग

के अध्यक्ष के अपने साथ अन्याय होता है, वे स्वयं अत्याचार और उपेक्षा का शिकार होते हैं तो वे कहां जाकर गुहार करें, कहां जाकर रोयें। सरकार 12 दिन के बाद भी मौन साधे हुये है। किसी दोषी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसीलिये मुझे आपके माध्यम से यह मामला सदन में उठाना पड़ा है। मैं आपके जरिये से सरकारी प्रतिनिधियों से अनुरोध करती हूं कि वे इसका तुरन्त नोटिस लें और दोषी अपराधियों के खिलाफ, जितने दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की बात करें ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का सम्मान बच सके। यही बात कहने के लिये मैंने आपसे अनुमति मांगी थी। आपने अनुमति दी, धन्यवाद।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं अपने आपको सुषमा जी के विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और इतना कहना चाहता हूं कि इस आयोग की स्थिति पहले ही दयनीय रही है। राम धन जी लिखते रहे हैं, स्टाफ उनको पूरा मिला नहीं है, पैसा मिलता नहीं है, जगह बहुत कम है और शिकायतों का अम्बार लगा हुआ है जिनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब आयोग के अध्यक्ष के ऊपर ही जुल्म अत्याचार होगा तो इन अनसूचित जातियों, जनजातियों के ऊपर जल्म अत्याचार समाप्त नही हो सकेंगे। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले में तुरन्त– बाकी तो बाद में कार्यवाही होती रहेगी लेकिन जिन लोगों ने हरकत की है उन्हें गिरफ्तार करके हथकड़ी डालकर पहले जेल भेजा जाय, उन्हें सजा दिवाई जाय।

श्री एस. एस अहलुवालिया (बिहार) : उपसभापति महोदया, सुषमा जी ने जो मसला उठाया है, रामधन जी के साथ जो दुर्व्यवहार गुजरात में हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं किन्तु साथ साथ मैं [illegible] कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष तथा और कुछ अध्यक्ष अगर ऐसे राजनीतिक मसलों में, जिन मसलों में देश में जहां पर डेवलपमेंट के काम हों रहे हैं उनके खिलाफ एजीटेशन चल रहे हों, ऐसे मसलों में जुड़ जायेंगे तो यह भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगर ऐसी कोई बात हुई है तो राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का फर्ज बनता था कि वहां के मुख्यमंत्री को लिखकर भेजते कि वहां हमारे लोगों के साथ यह अन्याय हो रहा है, तो विचार होता। पर जो लोग देश के उन्नति और प्रगति के रास्ते में या डेवलपमेंट के काम को रोकने में वाधा-सृष्टि कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिये अगर राष्ट्रीय आयोग जाता है तो उसमें बाधासृष्टि होगी और आगे भी होगी, ऐसा सोचना चाहिये।

MISS SAROJ KHAPARDE (MAHARASHTRA): Madam Deputy Chairman, on the 26th May, 1994, there was a news item in the "Hindustan Times" dated 26th May, 1994, under the title "Every third heart patient a woman".

The Ministry of Health and Family Welfare might be aware that the incidence of heart attack among Indian women is on the rise so much so that every third heart patient in India today is a woman.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Why?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Because of so much tension. Heart attack is the direct result of tension. I think I am going to be the next third woman.

MISS SAROJ KHAPARDE: Madam, I do not want to see you as a heart patient. It has been pointed out by the Hea. Care Foundation of India that the indiscriminate use of birth-control pills could cause heart attacks in women, especially if one or more risk facts were already present. Women with

a known history or family history of heart ailments, those suffering from high blod pressure, blood sugar, high cholesterol, mental stress, and overweight and those in the habit of smoking and consuming excessive liquor are especially prone to heart attacks.

It has also been pointed out by the Heart Care Foundation of India that nearly one-third of the 25 lakhs of people who die of heart attacks in India every year are women and that the occurrence of heart diseases among women in bigger cities is on the increase.

Therefore, Madam, I would request the Ministry of Health and Family Welfare to accord top priority to this urgent problem and to devise a suitable and time-bound action plan to reduce and prevent the alarmingly high incidence of heart attacks among women in India.

Thank you, Madam.

उपसभापति : गौतम जी सारा दिन तो कल और आज शुगर और गुड़ की नजर होती रही, आज फिर आप इसको क्यों उठा रहे हैं ?

श्री संघ प्रिय गौतम : शुगर से कोई मतलब नहीं ।

उपसभापति : शुगर और गुड़ एक ही होता है । इस पर जवाब दे दिया मंत्री जी ने अब खत्म हो गया

श्री संघ प्रिय गौतम : आप मुझे इजाजत दे दीजिए ।

उपसभापति : जब केयरमैन साहब ने दे दी है तो मुझे एलाऊ करना है । वरना गुड़ की बात है नहीं ।

Situation arising out of likely rise in the prices of sugar in the market due to the "Gur control order, 1994."

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, विशेष उल्लेख के माध्यम से इस सदन में लोक हित के प्रश्न उठाये जाते हैं । चीनी जितना लोक हित का प्रश्न है गुड़ और खंडसारी उससे ज्यादा लोक हित का प्रश्न है । खडसारी का इस्तेमाल 75 परसेंट लोग जो देहातों में रहते हैं, गरीब लोग हैं वे करते हैं । शहरों में रहने वाले लोग अमीर लोग, बड़े बड़े लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं । गरीब देहात के लोग गुड़ का इस्तेमाल करते हैं । उत्तरी भारत में यू०पी० के पहाड़ी आठ जिलों में फीकी चाय पी जाती है । गुड़ की भेली को तोड़-तोड़ कर खाते हैं और फीकी चाय पीते हैं । गुड़ का इस्तेमाल चाय के साथ भी होता है । मैं गांव का रहने वाला हू । हमारे यहां उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुड़ उत्पादकों का सबसे बड़ा केन्द्र है । मुजफ्फरनगर इसका केन्द्र है । सारे देश को गुड़ की आपूर्ति मुजफ्फरनगर की मडी से की जाती है । मुजफ्फरनगर की मंडी में 20 हजार क्विंटल गुड़ प्रतिदिन आता है । वहां पर बहुत ज्यादा शीतगृह बनाये गये हैं जहां पर गुड़ का भंडारण होता है । जब से प्रक्रिया लागू हुई है, तब से यह गुड़ वहां पर सालों, महीनों तक रखा जाता है । उस गुड़ के कारण चीनी के दाम भी नहीं बढ़ पाते हैं । इस बार यह जो कहा गया कि चीनी की कमी होगी तो मैं यह कहना चाहता हूं कि 30 परसेंट गन्ना केवल चीनी मिलों को जाता है और बाकी 70 परसेंट क्रशर्स, कोल्हू को जाता है जहां पर गुड़, खंडसारी बनती है । इस बार के आंकड़े यह हैं कि चीनी कम पैदा होगी दूसरी जगह लेकिन मुजफ्फरनगर जिला और पश्चिमी यू.पी. में सवा पांच लाख क्विंटल चीनी पैदा हुई है जब कि चीनी से इसका कोई संबंध नहीं है । 24 जनवरी, 94 को उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक आदेश जारी किया कि 500 क्विंटल से ज्यादा और 15 दिन से ज्यादा कोई गुड़ का भंडारण नहीं कर सकेगा । इसका व्यापक पैमाने पर किसानों ने, उत्पादकों ने विरोध किया तो यह आदेश वापस ले लिया गया । कोल्हू पर लाखों कर्मचारी काम करते हैं, गरीब मजदूर हैं जो चुकाई का काम करते हैं, पिराई करते हैं गन्ना बोने का काम करते हैं । यह छोटा एक लघु उद्योग है, कुटीर यह जो क्रेशर है, कोल्हू है, जिससे गुड़ बनने उद्योग है। का काम होता है और इनको बन्द